अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2006

का.आ. 509(अ).— जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 23 मार्च, 2000 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 268 (अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार श्रीनिवासन सर्विस ट्रस्ट, जयालक्ष्मी एस्टेट, 8, हैडोस रोड, चेन्नई द्वारा तमिलनाडु के तिरूकुरुनगुडी, पदावेदु एस्ती, तिरूमति और तिरूकोल्लुर गांवों, और कर्नाटक के केम्बल ग्राम में ग्रामीण विकास की परियोजना को कर-निर्धारण वर्ष 2000-2001 से आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम सं0 8 पर विनिर्दिष्ट किया था; और जिसे बाद में दिनांक 24 अक्तूबर, 2002 की अधिसूचना सं0 1116 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया गया था ,

और जबकि दिनांक 5 अगस्त, 2003 की अधिसूचना सं0 896 (अ0) द्वारा 8 ग्रामों नामतः कोहाकोंडापल्ली, मुकुन्दापल्ली, माथीगिरी, बेलागोंडापल्ली, बेथलापल्ली, पाडी, वनग्राम और मेप्पुदु को पात्र परियोजना में शामिल किया गया था ,

और जबकि उक्त परियोजना अथवा स्कीम के छह वर्षों से अधिक चलने की संभावना है ;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप-नियम (5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए अब केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीनिवासन सर्विस ट्रस्ट, जयालक्ष्मी एस्टेट, 8, हैडोस रोड, चेन्नई द्वारा चलाई जा रही तमिलनाडु और कर्नाटक के तिरूकुरुनगुडी, पदावेदु एस्ती, तिरूमति और तिरूकोल्लुर, केम्बल कोहाकोंडापल्ली, मुकुन्दापल्ली, माथीगिरी, बेलागोंडापल्ली, बेथलापल्ली, पाडी, वनग्राम और मेप्पुदु ग्राम में ग्रामीण विकास की परियोजना या स्कीम को अनुमानित लागत अर्थात 700.00 लाख रूपए में बिना कोई परिवर्तन किए वित्तीय वर्ष 2005-2006 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 109/2006/फा. सं. एन. सी.-270/55/2006]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)